प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 03 जून, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सूबेदार पुत्र श्री टोडी सिंह, निवासी जनपद-अलीगढ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार के पत्र संख्या-30968/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-28.07.2025), दिनांक-01.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सूबेदार पुत्र श्री टोडी सिंह, ग्राम-सिंधौली कलां, थाना-दादों, जिला-अलीगढ़ का निवासी है। झगड़े व मारपीट के कारण बन्दी ने दिनांक 29.03.2000 को अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेन्सी व नाजायज बन्दूक, रायफल, तमंचे से गोली मारकर कु० विनीता (उम्र 12 वर्ष) की हत्या कर दी व 05 अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को एस0टी0नं0916/2000 में धारा-148, 307/149, 302/149, 504, 506 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय सं-4, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 23.01.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 23.12.2021 तक अपरिहार 15 वर्ष, 05 माह, 18 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 04 माह, 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने झगड़े व मारपीट के कारण दिनांक 29.03.2000 को अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेन्सी व नाजायज बन्दूक, रायफल तमंचे से गोली मारकर कु० विनीता (उम्र 12 वर्ष) की हत्या कर दी व 05 अन्य व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समवपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सूबेदार पुत्र श्री टोडी सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सूबेदार(बन्दी संख्या-12617) पुत्र श्री टोडी सिंह, निवासी जनपद-अलीगढ के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या- 639/2026/1596(1)/22-2-2025 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 639/2026/1596/22-2-2025-17(804)/2025

दिनांक: 03 जून, 2026 का संलग्नक

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सूबेदार पुत्र श्री टोडी सिंह, ग्राम-सिंधौली कलां, थाना-दादों, जिला-अलीगढ़ का निवासी है। झगड़े व मारपीट के कारण बन्दी ने दिनांक 29.03.2000 को अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेन्सी व नाजायज बन्दूक, रायफल, तमंचे से गोली मारकर कु० विनीता (उम्र 12 वर्ष) की हत्या कर दी व 05 अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को एस0टी0नं0916/2000 में धारा-148, 307/149, 302/149, 504, 506 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय सं-4, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 23.01.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 23.12.2021 तक अपरिहार 15 वर्ष, 05 माह, 18 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 04 माह, 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने झगड़े व मारपीट के कारण दिनांक 29.03.2000 को अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेन्सी व नाजायज बन्दूक, रायफल तमंचे से गोली मारकर कु० विनीता (उम्र 12 वर्ष) की हत्या कर दी व 05 अन्य व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समवपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सूबेदार पुत्र श्री टोडी सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।